

कार्यालय:- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मडराक,अलीगढ

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण, 2008 (सामान्य चयन) के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश दिनांक 14.11.2008 एवं संशोधित शासनादेश दिनांक 04.03.10 व 13.04.10 तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में जनपद अलीगढ हेतु निर्धारित 192 पदों के सापेक्ष महिला/अनु०जाति/विज्ञान वर्ग के 09 रिक्त पदों को शासनादेशानुसार महिला/अनु०जाति/कला वर्ग से भरने हेतु निर्गत चतुर्थ जॉच सूची के समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की सम्मिलित करते हुए 24 अभ्यर्थियों की सातवी अनन्तिम चयन सूची निर्गत कर दी गयी है । महिला/अनु०जाति/विज्ञान वर्ग के 01 रिक्त पद को शासनादेशानुसार पुरुष/अनु०जनजाति/विज्ञान वर्ग से भरने हेतु एक अभ्यर्थी की पाँचवी जॉच सूची भी निर्गत कर दी गयी है । सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मैरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं संस्थान की वेबसाइट www.aligarh.nic.in पर उपलब्ध है । सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी रु० 10/- के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) के साथ निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (संस्थान के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध) एवं अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र,जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण /शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र,वोटर आई कार्ड एवं सम्बन्धित B.ED./B.P.ED. कॉलेज को N.C.T.E. की मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ,दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांक 08.06.10 से 10-06-10 के मध्य प्रातः 10:30 बजे संस्थान में उपस्थित हों। मूल प्रमाण पत्र वरीयता कम में स्वीकार किये जायेंगे।

सातवी अनन्तिम चयन सूची की कट ऑफ मैरिट का विवरण

श्रेणी	
महिला/अनु०जाति/कला	183.75

पाँचवी जॉच सूची की कट ऑफ मैरिट का विवरण

श्रेणी	
पुरुष/अनु०जनजाति/विज्ञान	225.48

- ❖ जारी की गयी सातवी अनन्तिम चयन सूची एवं पाँचवी जॉच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है । उपरोक्त सूची मा० उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी ।
- ❖ यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता कम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:- पाँचवी अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित महिला/अनु०जाति/कला वर्ग की अभ्यर्थियों में से वे अभ्यर्थी जो तत्समय मूल अभिलेख एवं शपथ पत्र जमा करने हेतु उपस्थिति नहीं हो सके थे, को एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि वे इच्छुक हों तो उन्हें उपरोक्त तिथियों में जमा करने हेतु जांच हेतु उपस्थित होने का अतिरिक्त अन्तिम अवसर इस विज्ञप्ति के माध्यम से इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि उनकी श्रेणी में रिक्ति शेष रहने की स्थिति में ही उनके प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा। इस विज्ञप्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दी जायेगी, क्योंकि उन्हें पूर्व में ही विभिन्न माध्यम से सूचित करके अवसर दिया जा चुका है। उस तिथियों में भी उनके द्वारा संस्थान में उपस्थित न होने पर यह मान लिया जायेगा कि वे इस जनपद में अपने अभ्यर्थन हेतु कदापि इच्छुक नहीं हैं और इस जनपद में उनका किसी प्रकार का दावा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
मडराक,अलीगढ

पृ०सं०/आयट/ /2009-10

तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि:- सम्पादक अमर उजाला/दैनिक आज को इस आशय से प्रेषित है कि वे उक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के 30प्र० के समस्त संस्करणों में न्यूनतम स्थान एवं न्यूनतम दरों पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
मडराक,अलीगढ